

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

ii—section 5—sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 665] No. 665] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2016/आश्विन 1, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2016/ASVINA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 903(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 628 (अ), तारीख 24 जून, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अविध की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 24 जून, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (15वां संशोधन) नियम 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

"परंतु 31 दिसंबर, 2016 तक, ई-रिक्शा के मॉडलों के संबंध में 13 जनवरी, 2015 को प्रकाशित केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 के प्रकाशन की तारीख को और से और केंद्रीय मोटर यान (16वां संशोधन) नियम, 2014 के प्रकाशन से पूर्व विद्यमान ई-कार्टस तथा का.आ. 2590(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, इस उपनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररुप 20 में प्ररुप

[PART II—SEC. 3(i)]

21 और प्ररुप 22 जारी करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे –

- प्ररुप 22 में विनिर्माता या व्यौहारी या रिजस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा जारी किए जाने वाला सड़क योग्यता प्रमाणपत्र ; और
- (ii) प्ररुप 21 में विनिर्माता या व्यौहारी या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुतीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा जारी किए जाने वाला विक्रय प्रमाण पत्र।"

[सं. आरटी-11036/80/2012-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 895(अ), तारीख 20.09.2016 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2016

G.S.R. 903(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 628(E) dated 24th June, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section(i) inviting objection and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24th June, 2016;

And, whereas, no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules of further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (15th Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 47, in sub rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that upto 31st December, 2016, on and from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015 published on 13th January, 2015, in respect of the models of the E-rickshaws and E-carts existing prior to publication of the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2014 and the notification published vide S.O. 2590(E) dated the 8th October, 2014, the application for registration under this sub-rule shall be made in Form 20 to the registering authority within a period of seven days from the date of issue of Form-21 and Form-22 and shall be accompanied by -

- road worthiness certificate in Form-22 to be issued by the manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-cart Association or any agency authorised by State Government; and
- (ii) sale certificate in Form 21 to be issued by manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-cart Association or any agency authorised by State Government for presentation along with the application for registration.".

[No. RT-11036/80/2012-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 895(E) dated 20.09.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016,09.27 11:16:25 +05'30'